याचिका क्रमांक : 51/2009

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

विषय : 33/11 के.व्ही. लाईन पर 30 कि.वा. एच.टी. के कनेक्शन प्रदाय करने का अनुमोदन करने बाबत् ।

: आदेश :

(सुनवाई दिनांक 27.10.2009)
(आदेश दिनांक 11.11.2009)

अध्यक्ष पातीराम शिवहरे,
लोक कल्याण एवं शिक्षा न्यास, — याचिकाकर्ता
भिण्ड (म.प्र.)

विरूद्ध

सी.एम.डी.,
म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल. — उत्तरार्थी

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पातीराम शिवहरे – अध्यक्ष, पातीराम शिवहरे महाविद्यालय, भिण्ड एवं डॉ. प्रवीण अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से श्री के.एल. चौहान, कार्यपालन यंत्री उपस्थित ।

2. यह याचिका 33/11 के.व्ही. लाईन पर 30 किलो वॉट एच.टी. कनेक्शन प्रदाय करने के संबंध में है ।

3. दिनांक 27.10.2009 को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा बतलाया गया कि उक्त कालेज में बी.एस.सी. नर्सिंग, जी.एन.एम. व एम.एन.एन. की शिक्षा प्रदान की जाती है । कालेज में विद्युत की निर्बाध उपलब्धता आवश्यक है, जिसके लिये 33 के.व्ही. लाईन से 30 कि.वा. के कनेक्शन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है । ग्रामीण क्षेत्र से विद्युत प्रदाय के कारण निर्बाध विद्युत प्रदाय संभव नहीं है । चूंकि 30 के.डब्लू का एच.टी. कनेक्शन 33 के.व्ही. फीडर से प्राप्त करने के लिये आयोग का अनुमोदन आवश्यक है, इस कारण उक्त कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देशित करने की मांग की गई है ।

4. सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा बतलाया गया कि टैरिफ आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 में उल्लेखित उच्च दाब टैरिफ हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों की धारा 1.18 के अनुसार 33 के.व्ही. पर कनेक्शन हेतु न्यूनतम संविदा मांग 100 के.व्ही.ए. एवं 11 के.व्ही. पर 60 के.व्ही.ए. निर्धारित है, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा 30 किलोवॉट एच.टी. कनेक्शन के लिये मांग की है, जो नियमानुसार सही नहीं है । अनावेदक द्वारा यह भी बतलाया कि यदि 33 के.व्ही./11 के.व्ही. पर 30 किलोवॉट एच.टी. कनेक्शन स्वीकृत किया जाता है तो इस प्रकार के अन्य एल.टी./अन्य

उपभोक्ता भी एच.टी. कनेक्शन हेतु न्यूनतम संविदा मांग से भी कम लोड के लिये आवेदन कर सकते हैं और इस तरह से उन सभी उपभोक्ताओं को एच.टी. पर कनेक्शन देना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके लिये मुख्य लाईन से उपभोक्ता को जोड़कर कनेक्शन देना पड़ेगा, जो तकनीकी रूप से उचित नहीं है ।

5. आयोग द्वारा याचिकाकर्ता एवं अनावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनने के पश्चात् यह निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये कारण तकनीकी नहीं है । आयोग द्वारा याचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि उक्त महाविद्यालय से संबंधित न्यास का पंजीयन दिनांक 13 जून, 2002 को किया गया था तथा न्यास द्वारा वर्तमान एवं भविष्य की सारी संभावनाओं पर विचार करके ही उक्त महाविद्यालय, भिण्ड जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय की स्थिति में विगत वर्षों में कोई उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित नहीं हुई है । अतः विद्युत प्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एवं टैरिफ आदेश में उल्लेखित उच्च दाब टैरिफ हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों की धारा 1.19 के अन्तर्गत 33/11 के.व्ही. पर न्यूनतम संविदा मांग कम करने या न्यूनतम संविदा मांग से कम संविदा मांग पर एच.टी. कनेक्शन देने की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं होगा ।

6. उपरोक्त आदेश के साथ याचिका क्रमांक 51/09 समाप्त की जाती है ।

(सी.एस. शर्मा)	(के.के. गर्ग)	(डॉ. जे.एल.बोस)
सदस्य (आर्थिक)	सदस्य (अभि.)	अध्यक्ष